

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2008

सा.का.नि. 541(अ).-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः -

### 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या निविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की प्राप्ति संहिता) विनियम, 2008 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

### 2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "प्राप्ति व्यवस्था" का अर्थ है ट्रांसपोर्टर का वह दस्तावेज जिसमें विशेष रूप से गैस पाइपलाइन तक प्राप्ति की निबंधन और शर्तों को परिभाषित किया गया हो और ट्रांसपोर्टर की वेबसाइट पर डाला गया हो;

(ख) "अधिनियम" का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006;

(ग) "सदृश क्षेत्र" (एएचए) का अर्थ है पाइपलाइन का वह हिस्सा जिसके अंतर्गत कैलोरीयुक्त मूल्य सहित समान विशिष्टियों सहित गैस एक विनिर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त की जाती है या सुपुर्द की जाती है;

(घ) "आबंधित क्षमता" का अर्थ है शिपर और ट्रांसपोर्टर के बीच सहमत अनुसूचित अधिकतम दैनिक मात्रा;

(ङ.) "नियत दिवस" का अर्थ है 01 अक्टूबर, 2007 का दिन, जब केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना करने की अधिसूचना जारी की थी;

- (च) "बोर्ड" का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के अंतर्गत स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी);
- (छ) "बुक की गई क्षमता" का अर्थ है शिपर और ट्रांसपोर्टर के बीच हुए अनुबंध के अनुसार एक दिन में प्रवेश स्थल पर सुपुर्दगी करने या निकासी स्थल पर उठाई जाने वाली गैस की अधिकतम दैनिक मात्रा (एमडीक्यू);
- (ज) "अनुबंधित क्षमता" का अर्थ है दैनिक मासिक या वार्षिक आधार पर पाइपलाइन प्रणाली के जरिए परिवहन हेतु अनुबंधित प्राकृतिक गैस मात्रा;
- (झ) "अभिरक्षा हस्तांतरण मीटर" का अर्थ है ऐसे उपकरण या उपकरणों के समूह, जिनसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अभिरक्षा के हस्तांतरण के लिए प्राकृतिक गैस की मात्रा (आयतन और ऊर्जा के अनुसार) मापी जाती है;
- (ञ) "विवाद" का अर्थ है इन विनियमों या प्राप्ति व्यवस्था के अंतर्गत या इनसे संबंधित कंपनियों के बीच उत्पन्न होने वाला विवाद या मतभेद;
- (ट) "प्रवेश स्थल" का अर्थ है वह स्थल जहां शिपर द्वारा सुपुर्द की गई गैस को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में डाला जाता है;
- (ठ) "निकासी स्थल" का अर्थ है वह स्थल जहां से गैस ट्रांसपोर्टर और शिपर के बीच हुई सहमति के अनुसार शिपर या अंतिम उपभोक्ता को सुपुर्दगी के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से निकाली जाती है;
- (ड) "अधिकतम दैनिक मात्रा" का अर्थ है किसी विशेष दिवस के दौरान चौबीस घण्टों के अंदर सुपुर्दगी के लिए अनुबंधित, बुक की गई या अनुसूचित प्राकृतिक गैस की अधिकतम मात्रा;
- (ढ) "प्राकृतिक गैस पाइपलाइन" का अर्थ है प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए स्पर लाइनों सहित वह पाइपलाइन जिसमें सभी संबंधित उपकरण और सुविधाएं जैसे कंप्रेसर, भण्डारण सुविधाएं, मीटर यूनिट, आदि शामिल हैं किन्तु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं -
- (i) किसी विशिष्ट ग्राहक को अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए बिछाई गई पाइपलाइन जो पुनः बिक्री के लिए नहीं होगी;
  - (ii) नगर की पाइपलाइनों या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क, जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगर प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 द्वारा विनियमित किया जाता है।
- (ण) "प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खण्ड" का अर्थ है प्रवेश स्थल और निकासी स्थल या दो निकासी स्थलों के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का हिस्सा;

- (त) "विपणनकर्ता" का अर्थ है प्राकृतिक गैस विपणन या व्यापार करने वाली कंपनी;
- (थ) "विशिष्ट-रहित प्राकृतिक गैस" का अर्थ है ऐसी प्राकृतिक गैस जो विनियम 5 के उप-विनियम (1), (4), (5), और (6) में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुरूप न हो;
- (द) "प्रचालन दबाव" का अर्थ है किसी विशिष्ट प्रवाह दर से संबंधित दबाव, जिस पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का प्रचालन किया जाता है;
- (ध) "शिपर" का अर्थ है वह कंपनी जिसमें उपभोक्ता भी शामिल है जो गैस के संचरण के लिए पाइपलाइन की क्षमता का उपयोग करना चाहता है;
- (न) "प्रणाली उपयोग गैस" (एसयूजी) का अर्थ है ट्रांसपोर्टर द्वारा पाइपलाइन प्रणाली के प्रचालन और रखरखाव के लिए प्रयुक्त गैस की मात्रा, जिसमें कंप्रेसर, गैस हीटर, सघन चक्रण वाष्प या कैथोडिक सुरक्षा के लिए थर्मो इलेक्ट्रिक गैस टर्बाइन तथा पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं आंकड़ा अर्जन प्रणाली (एससीएडीए) शामिल है किन्तु सीमित नहीं है;
- (प) "संचरण हानि" (टीएल) का अर्थ है गैस की वह मात्रा जिसका हिसाब नहीं रखा जाता चाहे कारण कुछ भी हो, जिसमें पाइपलाइन प्रणाली के नियमित प्रचालन और रखरखाव के दौरान या अभिरक्षा मीटर के ठीक न होने के कारण ब्लो डॉउन, निर्गम या रिलीज शामिल होता है;
- (फ) "ट्रांसपोर्टर" का अर्थ है वह कंपनी जिसे बोर्ड या केन्द्र सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने की नियत तारीख से पूर्व प्राधिकृत किया गया हो;
- (ब) "संचरण सेवा" का अर्थ है वह सेवा जिसमें शिपर द्वारा पाइपलाइन प्रणाली के साथ-साथ एक या अधिक प्रवेश स्थलों पर उपलब्ध कराई गई गैस की सुपुर्दगी लेना तथा एक या अधिक निकासी स्थलों पर ऊर्जा के अनुसार गैस की समकक्ष मात्रा की सुपुर्दगी देना शामिल होता है जो शिपर और ट्रांसपोर्टर के बीच प्राप्ति व्यवस्था और हस्ताक्षरित अनुबंध में निर्धारित निबंधन और शर्तों तथा इन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप होती है;
- (भ) "माप की इकाई" का अर्थ है गैस की मात्रा के माप की इकाई, और यह मिलियन ब्रिटिश थर्मल इकाई (एमएमबीटीयू) या किलो कैलोरी में होती है।
- (2) अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियां जिनका यहां प्रयोग किया गया है किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनके अधिनियम में व्यक्त किया गया है;
3. प्रयोज्यता
- (1) ये विनियम उस कंपनी पर लागू होंगे जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का प्रचालन कर रही है या किए जाने का प्रस्ताव है।

- (2) कोई कंपनी जिसे बोर्ड द्वारा नियत दिवस से पूर्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम 2008 के अंतर्गत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है या ऐसा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, प्रौद्योगिक-आर्थिक आधार पर पाइपलाइन में कोई नया स्थल जोड़ सकती है या किसी मौजूदा प्रवेश और निकासी स्थल को छोड़ सकती है, बशर्ते कि पाइपलाइन के मौजूदा ग्राहकों पर कंपनी के निर्णय का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

#### 4. क्षमता की घोषणा

- (1) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के अंतर्गत नई पाइपलाइनों के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अनुसार होगी या बोर्ड द्वारा संगत विनियमों के अंतर्गत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क) विनियम 2008 के अंतर्गत सामान्य वाहक या निविदा वाहक घोषित किया गया हो या संगत विनियमों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो।
- (2) ट्रांसपोर्टर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रत्येक खण्ड, प्रवेश और निकासी स्थल-वार डिजाइन तथा पाइपलाइन की उपलब्ध क्षमता की घोषणा करेगा और उसे अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में तथा नियमित तौर पर प्रत्येक माह की पहली तारीख को वेबसाइट पर डालेगा तथा इस सूचना को बोर्ड को भेजने के साथ-साथ अपनी वेबसाइट पर भी डालेगा।
- (3) उप-विनियम (2) के अंतर्गत ट्रांसपोर्टर के लिए घोषित उपलब्ध क्षमता सामान्य वाहक या संविदा वाहक आधार या दोनों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी तथा इसे विनियम 12 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार आबंटित किया जाएगा।

#### 5. गैस मापदण्ड

- (1) विनियम 3 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित अनुसार प्राधिकृत कंपनी निम्नलिखित मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के जरिए परिवहन किए जाने वाली प्राकृतिक गैस के लिए कैलोरीयुक्त मूल्य (सीवी) बैंड बनाएगी, अर्थात् :-

- (क) परिवहन की जाने वाली अपनी निजी प्रस्तावित प्राकृतिक गैस का सीवी;
- (ख) प्राकृतिक गैस की सुनिश्चित अनुबंधित क्षमता का सीवी;
- (ग) पाइपलाइन पर प्राकृतिक गैस के डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं;
- (घ) पाइपलाइन प्रणाली की तकनीकी आवश्यकता; और
- (ङ.) अंतर-राज्यीय पाइपलाइन का सीवी बैंड, चाहे वह प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन प्रणाली में आपूर्ति कर रहा हो या इस पाइपलाइन प्रणाली से प्राकृतिक गैस प्राप्त कर रहा हो।

- (2) ट्रांसपोर्टर बोर्ड को अवगत करते हुए विनियम 3 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किए जाने के एक माह की अवधि के अंदर अपनी वेबसाइट पर उप-विनियम (1) में उल्लिखित सीवी बैंड का प्रकाशन करेगा।

बशर्ते कि इन विनियमों के प्रकाशन से पूर्व प्राधिकृत कंपनियां इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से एक माह की अवधि के अंदर सीवी बैंड का प्रकाशन करेंगी।

- (3) उप-विनियम (1) में उल्लिखित सीवी बैंड बिना भेदभाव के सभी शिपर पर लागू होगा।
- (4) ट्रांसपोर्टर गैस आपूर्तियों के नए प्रमुख स्रोत या नए उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक गैस के सीवी बैंड की समय-समय पर समीक्षा कर सकता है:

बशर्ते कि इस प्रकार अद्यतन बनाए गए सीवी बैंड का किसी मौजूदा शिपर पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े:

आगे इस शर्त पर कि ट्रांसपोर्टर द्वारा किए गए ऐसे उन्नयन की जानकारी उसके द्वारा तत्काल बोर्ड को देने के साथ-साथ अपनी वेबसाइट पर भी डाली जाएगी।

- (5) प्राकृतिक गैस में अन्य तत्वों जैसे सीओ<sub>2</sub>, सीओ, एच<sub>2</sub>एस, एन<sub>2</sub>, ओ<sub>2</sub>, जल ओसांक हाइड्रोकार्बन ओसांक, आदि की प्रवेश सीमा अनुसूची-11 में दिए अनुसार होगी।
- (6) ट्रांसपोर्टर दबाव और तापमान की स्वीकार्य श्रेणी को दर्शाते हुए गैस हाइड्रोलिक्स के अनुसार प्रवेश स्थलों पर गैस मानदण्डों को परिभाषित करेगा और उसे ट्रांसपोर्टर की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए।
- (7) शिपर उप-विनियम (1), (4) से (6) में विनिर्दिष्ट सभी मानदण्डों के अनुरूप गैस की आपूर्ति करेगा तथा ट्रांसपोर्टर गैस को उप-विनियम (1), (4) और (5) में विनिर्दिष्ट अनुसार गैस के मानदण्डों के अनुरूप निकासी स्थल पर गैस की सुपुर्दगी करेगा।

बशर्ते कि दबाव और तापमान शिपर और ट्रांसपोर्टर के बीच हुए अनुबंध के अनुसार होगा।

#### 6. प्रणाली प्रयोग गैस (एसयूजी), लाइन पैक (एलपी) और संचरण हानि (टीएल)

यदि ट्रांसपोर्टर को पाइपलाइन में अपनी पैकिंग क्षमता के अनुपात में विद्यमान बाजार मूल्य पर एसयूजी, एलपी और टीएल की आवश्यकता होती है तो शिपर द्वारा गैस उपलब्ध कराई जाएगी:

बशर्ते कि ट्रांसपोर्टर इस गैस को किसी भी स्रोत से व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होगा।

#### 7. गैस का माप

- (1) ट्रांसपोर्टर विनियम 9 में विनिर्दिष्ट 3 सार सतत् आधार पर गैस संघटन कैलोरीयुक्त मूल्य, दबाव और तापमान को मापने के लिए प्रवेश और निकासी स्थल पर उपकरणों का प्रावधान सुनिश्चित करेगा।

- (2) ट्रांसपोर्टर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को अनेक "सदृश क्षेत्रों" (एएचए) में विभाजित करेगा तथा प्रत्येक एएचए में गैस क्रोमोटोग्राफ (जीसी) द्वारा लगातार गुणवत्ता मापदण्डों को मापेगा।
- (3) एएचए के सभी निकासी स्थलों के लिए उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) में उपलब्ध कराए गए अनुसार सीवी और गैस गुणवत्ता का माप बिल बनाने और अन्य ठेकागत प्रयोजनों के लिए पर्याप्त होगा।
- (4) कुल दोष सीमा और उपकरण मापने की सटीकता दोनों कंपनियों के बीच हुई सहमति के अनुसार होगी, जो विनियमों के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी अनिवार्य विशिष्टियों, यदि कोई हों, के अधीन होगी।
- (5) ट्रांसपोर्टर संगत संहिताओं और मानकों के अनुसार मापक उपकरण का सत्यापन, अंशशोधन या जांच कराएगा।
- (6) शिपर या ट्रांसपोर्टर अपेक्षित स्थलों पर इस पूर्व-शर्त के साथ जांच मीटर लगाएंगे कि अभिरक्षा हस्तांतरण उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा स्थापित माप उपकरण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।
- (7) गैस का लेखा-जोखा दैनिक आधार पर किया जाएगा और गैस समन्वय, बिलिंग और अन्य शर्तें कंपनियों के बीच लिए गए निर्णय के अनुसार होंगी।

#### 8. प्रवेश स्थल और निकासी स्थल पर बाध्यताएं

- (1) यदि शिपर द्वारा प्रवेश स्थल पर की गई प्राकृतिक गैस की सुपुर्दगी सीवी बैंड और गैस के अन्य तत्वों के प्रारंभिक स्तर के संबंध में विनियम 5 के उप-नियम (1), (4) से (6) में विनिर्दिष्ट अनुसार गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती, तो ट्रांसपोर्टर :

(क) उसे स्वीकार करने से मना कर सकता है; या

(ख) ऐसी गैस को स्वीकार कर सकता है जो गैस मापदण्डों के अनुसार गैस की आवश्यकता पूरी न करती हो -

- (i) जैसा कि अनुसूची-11 में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि ट्रांसपोर्टर पाइपलाइन को साफ करने या उसकी संपूर्ण आवश्यकता के लिए और गैस को पाइपलाइन विशिष्टियों के अनुरूप उन्नत बनाने के लिए परस्पर सहमति के अनुसार शिपर से उपयुक्त सेवा लागत ले सकता है;

आगे इस शर्त पर कि ऐसी विशिष्टि-रहित प्राकृतिक गैस का प्रवेश स्थलों पर ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रतिबद्ध मौजूदा ग्राहकों की गुणवत्ता विशिष्टियों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- (ii) विनियम 5 के उप-विनियम (1) और (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार:  
बशर्ते कि ट्रांसपोर्टर ऐसी गैस के परिवहन और प्रणाली में क्षमता नियंत्रण के लिए शिपर से क्षमता समायोजन हेतु उपयुक्त सेवा लागत ले सकता है।

आगे इस शर्त पर कि ऐसी विशिष्ट-रहित प्राकृतिक गैस का निकासी स्थलों पर ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रतिबद्ध मौजूदा ग्राहकों की गुणवत्ता विशिष्टियों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- (2) यदि प्रवेश स्थल पर ट्रांसपोर्टर द्वारा दी गई गैस विनियम 5 के उप-विनियम (7) में विनिर्दिष्ट अनुसार गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है तो शिपर -
- (क) सुपुर्दगी लेने से मना कर सकता है और ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर को संविदा की शर्तों के अनुसार शिपर को परिसम्पत्ति हरजाना देना होगा; या
- (ख) गैस ली जाती है तो ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर द्वारा कोई प्रभार नहीं दिया जाएगा।

#### 9. प्रवेश स्थल और निकासी स्थल पर सुविधाएं

- (1) शिपर पाइपलाइन प्रणाली पर प्रवेश स्थल पर गैस की सुपुर्दगी की व्यवस्था करेगा और ट्रांसपोर्टर को अभिरक्षा के हस्तांतरण तथा गैस की सुपुर्दगी के लिए अपेक्षित माप उपकरणों सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जब तक कि अन्यथा शिपर और ट्रांसपोर्टर के बीच सहमति न हुई हो।
- (2) ट्रांसपोर्टर शिपर के खर्च पर प्रवेश स्थल पर शिपर की सुविधा उपलब्ध कराएगा।
- (3) शिपर या उसका प्राधिकृत नामिली अपने खर्च और जोखिम पर प्रवेश स्थलों के अपस्ट्रीम पर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, प्रचालन और रखरखाव करेगा जब तक कि ट्रांसपोर्टर द्वारा सुविधाएं एक पृथक संविदा के अंतर्गत उपलब्ध न कराई जाएं।
- (4) ट्रांसपोर्टर शिपर को अभिरक्षा के हस्तांतरण और गैस की सुपुर्दगी के लिए प्रवेश स्थल पर माप उपकरणों सहित सुविधा उपलब्ध कराएगा और सुविधाओं का प्रचालन करेगा जब तक कि अन्यथा शिपर और ट्रांसपोर्टर द्वारा इस पर सहमति न हो तथा प्रवेश स्थल गैस मानदण्डों पर शिपर और ट्रांसपोर्टर के बीच परस्पर सहमति हो।
- (5) ट्रांसपोर्टर शिपर के खर्च पर निकास स्थल पर शिपर की सुविधा के साथ ट्रांसपोर्टर की सुविधा में सामंजस्य स्थापित करेगा।

- (6) शिपर स्थल उपलब्ध कराएगा और किसी विशिष्ट निकासी स्थल सुविधाओं की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव और सुधार करने में ट्रांसपोर्टर के साथ सहयोग करेगा जब शिपर के परिसर में ऐसी निकासी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (7) शिपर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में सुपुर्दगी स्थल पर विद्यमान मानक और विशिष्टियों के अनुरूप जांच मीटर उपलब्ध कराएगा :
- बशर्ते कि ट्रांसपोर्टर और शिपर के मीटर में रिडिंग में कोई अन्तर पाए जाने की स्थिति में ट्रांसपोर्टर के मीटर की रिडिंग को अंतिम माना जाएगा।
- (8) मीटर की रिडिंग में कोई विवाद होने पर मीटर की जांच और प्रमाणन बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुसार किसी प्राधिकृत तृतीय पक्ष द्वारा की जाएगी।
- (9) ट्रांसपोर्टर के मीटर में कोई खराबी पाए जाने पर उसके खर्च को ट्रांसपोर्टर द्वारा वहन किया जाएगा और यदि मीटर में कोई खराबी नहीं पाई जाती है तो खर्च शिपर द्वारा वहन किया जाएगा।

#### 10. पाइपलाइन क्षमता बुकिंग

- (1) एक से अधिक शिपर प्रवेश या निकासी स्थल पर क्षमता बनाए रख सकते हैं।
- (2) बुक की गई क्षमता एमडीक्यू के रूप में "प्राप्ति व्यवस्था" के अंतर्गत शिपर और ट्रांसपोर्टर के बीच एक निविदा के माध्यम से निर्धारित होगी।
- (3) शिपर से प्राप्ति हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर इसे शिपर से अनुरोध प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर कार्रवाई करते हुए -
- (क) पुष्टि करनी चाहिए कि अतिरिक्त क्षमता, अनुरोध को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और वह उन प्रभारों एवं निबंधन तथा शर्तों का उल्लेख करेगा जिन पर वह इन्हें उपलब्ध कराएगा;
- (ख) यह सलाह देगा कि अतिरिक्त क्षमता अनुरोध को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- (ग) यह सलाह देगा कि शिपर द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के तकनीकी अध्ययन की आवश्यकता है ताकि उनके अनुरोध को पूरा किया जा सके और ऐसा अध्ययन, अनुरोध के प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा; या
- (घ) यह सलाह देगा कि प्राप्ति उपलब्ध कराना तकनीकी या प्रचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।
- (4) शिपर बुक की गई क्षमता के अनुसार अन्य शिपर को क्षमता रिलीज कर सकता है।



- (5) शिपर उसके द्वारा बुक की गई आंशिक या पूर्ण क्षमता दे सकता है या खुले बाजार में व्यापार कर सकता है तथा ट्रांसपोर्टर किसी व्यक्ति या कंपनी, जो वैध निविदा के आधार पर वास्तविक सुपुर्दगी लेना चाहती है, को वास्तविक शर्तों पर क्षमता की सुपुर्दगी करेगा।
- (6) परिवहन के लिए प्राकृतिक गैस के नामांकन में शिपर और ट्रांसपोर्टर के बीच अनुसूची पर हुई सहमति के अनुसार दैनिक-नामांकित मात्राओं के आधार पर एक या अधिक दिनों के गैस प्रवाह का संभावित ब्यौरा शामिल होगा।
- (7) गैस का लेखा-जोखा ऊर्जा शर्तों के अनुसार होगा और आईएसओ 6976-1:1983 (ई) में परिभाषित अनुसार सकल कैलोरीयुक्त मूल्य पर आधारित होगा।

#### 11. दो सामान्य वाहकों के बीच आंतरिक कनेक्शन या संविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन

- (1) दो सामान्य वाहकों के बीच परस्पर संबंध या संविदा वाहक पाइपलाइन प्रणालियों की या तो ट्रांसपोर्टर या शिपर को आवश्यकता होगी तथा ऐसे आंतरिक कनेक्शन की तभी अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि सामान्य प्राप्त वाहक पाइपलाइन में क्षमता उपलब्ध हो और जब यह प्रचालन तथा तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो।
- (2) पाइपलाइनों को परस्पर जोड़ने की गैस गुणवत्ता विशिष्टियां संगत होनी चाहिए।
- (3) ऐसे आंतरिक कनेक्शन प्वाइंट की लागत उस कंपनी द्वारा वहन की जाएगी जिसने आंतरिक कनेक्शन की ऐसी आवश्यकता की मांग की है तथा आंतरिक कनेक्शन की लागत में सामान्य वाहक प्रणाली में प्राकृतिक गैस प्राप्त करने के लिए प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कंप्रेशन उपकरणों की लागत शामिल होगी।
- (4) आंतरिक कनेक्शन सुविधाएं उस ट्रांसपोर्टर द्वारा स्थापित कराई जाएंगी जिसके पास गैस प्राप्त करने की प्रणाली है।
- (5) आंतरिक कनेक्शन प्वाइंट पर ट्रांसपोर्टर और शिपर के बीच परस्पर सहमति बनाई जाएगी।
- (6) पाइपलाइन नेटवर्क का आंतरिक कनेक्शन मौजूदा पाइपलाइन में निकास स्थल को जोड़ने जैसा है और ऐसे आंतरिक कनेक्शन के लिए ऐसे सभी प्रावधान लागू होंगे।
- (7) सामान्य वाहक पाइपलाइन प्राप्त करने वाली प्राधिकृत कंपनी आंतरिक कनेक्शन का अनुरोध अस्वीकार करने की स्थिति में बोर्ड को सूचित करेगी।

#### 12. प्राप्ति उपलब्ध कराने की पद्धति

- (1) शिपर और ट्रांसपोर्टर के बीच अनुबंधित क्षमता उस गैस मात्रा के लिए होगी जो अपनी सुनिश्चित क्षमता से अधिक नहीं होगी और ट्रांसपोर्टर द्वारा अनुबंधित यह औसत मात्रा एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए होगी।

- (2) अतिरिक्त 33% क्षमता पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सामान्य वाहक सिद्धांत पर आबंटित की जाएगी :

बशर्ते कि किसी शिपर से मांग प्राप्त न होने के कारण किसी समय उप-विनियम (2) के अंतर्गत 33% अतिरिक्त क्षमता में से कोई क्षमता उपलब्ध होती है तो उसका इस्तेमाल स्वयं प्राधिकृत कंपनी द्वारा किया जाएगा या एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनुबंध पर इस शर्त पर दिया जा सकता है कि सामान्य वाहक आधार पर गैस के परिवहन के लिए अन्य शिपर द्वारा किसी आवश्यकता की स्थिति में कंपनी ऐसी आवश्यकता के तीस दिनों की अवधि में शिपर को अपेक्षित क्षमता उपलब्ध कराएगी।

### 13. प्रणाली अव्यवस्था और प्रभार

- (1) यदि शिपर द्वारा ट्रांसपोर्टर की अनुमति के बिना आबंटित क्षमता के 110% के लिए पाइपलाइन क्षमता का उपयोग किया गया है तो शिपर से बिना भेदभाव आधार पर पारदर्शी ढंग में ट्रांसपोर्टर द्वारा ऐसे अनधिकृत उपयोग के लिए प्रभार लिया जाएगा।
- (2) यदि शिपर पाइपलाइन प्रणाली में मौजूद गैस की कम मात्रा लेता है तो शिपर सकारात्मक असंतुलन पैदा कर रहा है और उसे सहनीय सीमा के रूप में आबंटित क्षमता के दस प्रतिशत के संचयी सकारात्मक असंतुलन की अनुमति दी जानी चाहिए।
- (3) बुक की गई क्षमता के दस प्रतिशत तक के सकारात्मक असंतुलन पर कोई सकारात्मक असंतुलन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा यदि यह दस प्रतिशत से अधिक होता है तो ट्रांसपोर्टर द्वारा शिपर से बिना कोई भेदभाव किए पारदर्शी ढंग से सकारात्मक असंतुलन प्रभार लिया जाएगा।
- (4) यदि शिपर पाइपलाइन प्रणाली से उसमें विद्यमान गैस की अधिक मात्रा लेता है, तो शिपर नकारात्मक असंतुलन पैदा करता है और शिपर को सहनीय सीमा के रूप में आबंटित क्षमता के पांच प्रतिशत के संचयी नकारात्मक असंतुलन की अनुमति दी जानी चाहिए।
- (5) आबंटित क्षमता के पांच प्रतिशत के नकारात्मक असंतुलन पर कोई नकारात्मक असंतुलन प्रभार नहीं लिया जाएगा और यदि यह पांच प्रतिशत से अधिक होता है तो ट्रांसपोर्टर द्वारा शिपर से कोई भेदभाव किए बिना पारदर्शी ढंग से नकारात्मक असंतुलन प्रभार लिया जाएगा ।
- (6) प्रणाली अव्यवस्था अर्थात् अनधिकृत सकारात्मक असंतुलन और नकारात्मक असंतुलन के अधिक उपयोग के लिए प्रभार अधिकतम दैनिक मात्रा के अनुसार दैनिक आधार पर होंगे।
- (7) उप-विनियम (8) के अधीन, ट्रांसपोर्टर पाइपलाइन प्रणाली का इस तरह से रखरखाव करेगा कि 10% के अनुमेय सकारात्मक असंतुलन या 5% के नकारात्मक असंतुलन का पाइपलाइन के प्रचालन पर प्रभाव न पड़े और वह यह सुनिश्चित करेगा कि शिपर को

2705 GI/08-4

निकासी स्थलों पर विनिर्दिष्ट गैस मापदण्डों पर स्वीकार्य ठेकागत अंतर के अंदर अपनी आबंटित मात्रा प्राप्त हो।

- (8) यह चूककर्ता शिपर की जिम्मेदारी होगी कि वह ट्रांसपोर्टर की पाइपलाइन में उसके द्वारा उत्पन्न अनुमेय सीमा से अधिक असंतुलन में सुधार करे और यदि चूककर्ता शिपर पंद्रह दिनों की अवधि के अंदर ऐसे असंतुलन में सुधार नहीं कर पाता है तो ट्रांसपोर्टर को पाइपलाइन प्रणाली की सुरक्षा और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे असंतुलन को कम करने हेतु ऐसे शिपर के दैनिक नामांकन में समायोजन करने का अधिकार होगा।
- (9) यदि ट्रांसपोर्टर और शिपर ने समझौता किया है जिसमें आवधिक आधार पर प्राकृतिक गैस के औसत मूल्य को मान्यता दी गई है और शिपर एक वर्ष से कम की अवधि में आंतरिक क्षमता का उपयोग करने की वचनबद्धता देता है तो असंतुलन और अधिक उपयोग के प्रभारों की शिपर और ट्रांसपोर्टर द्वारा अनुसूचित अनुसार अधिकतम दैनिक मात्रा आधार पर गणना की जाएगी।
- (10) एक निलंबलेख खाता स्थापित किया जाएगा जिसे ट्रांसपोर्टर द्वारा रखा जाएगा जिसमें ट्रांसपोर्टर द्वारा इस विनियम के अंतर्गत असंतुलन और अधिक उपयोग के कारण प्राप्त सभी प्रभारों को जमा किया जाएगा और ट्रांसपोर्टर निलंबलेख खाते से आपूर्ति के संदर्भ में अपनी ठेकागत बाध्यताओं का भुगतान करने या शिपर द्वारा सृजित ऐसे असंतुलन के कारण पाइपलाइन प्रणाली के नकारात्मक असंतुलन तथा प्रणाली प्रबंधन के मामले में कंप्रेस गैस के लिए अतिरिक्त भुगतान करेगा।
- (11) ट्रांसपोर्टर बोर्ड को वार्षिक आधार पर उप-विनियम (10) में संदर्भित निलंबलेख खाते का लेखा-परिक्षित विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (12) निलंबलेख खाते में उपलब्ध बकाया खाते का ट्रांसपोर्टर द्वारा उप-खण्ड (10) के अंतर्गत पात्र निकासी करने के बाद इस ढंग से तथा उन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

#### 14. नियोजित रखरखाव

- (1) ट्रांसपोर्टर को समय रहते एक निश्चित समायावधि के लिए रखरखाव योजना तैयार और प्रकाशित करनी होगी जिसमें उन प्रवेश और निकासी स्थलों का उल्लेख किया जाएगा जहां गैस प्रवाह रखरखाव कार्य, प्रतिबंध की सीमा और समय की बारंबारता सीमित होगी ताकि प्रभावित पार्टियों को मुश्किल कम से कम हो तथा ऐसी रखरखाव अनुसूची के लिए ट्रांसपोर्टर को सहायता देने के लिए प्रवेश और निकासी स्थलों पर उनके मौजूदा प्रवाह पर शिपर से सूचना का अनुरोध प्राप्त किया जा सके।
- (2) अनुसूचित रखरखाव की तारीख को अग्रिम में सूचित किया जाना चाहिए जिसे प्रभावित शिपर के तीस दिनों के अग्रिम नोटिस पर समायोजित किया जा सकता है।

- (3) नियोजित रखरखाव अवधि एक वर्ष में दस दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

15. अनिवार्य बाध्यता के बारे में सूचना

- (1) प्रभावित पार्टी कोई अनिवार्य बाध्यता होने पर -

(क) प्रत्येक पार्टी दूसरी पार्टी को अनिवार्य बाध्यता के घटित होने और उसकी प्रकृति के बारे में यथाशीघ्र सूचित करेगी तथा उसके संभावित अवधि तक बने रहने तथा उससे प्रभावित होने वाली पार्टी के कार्य-निष्पादन की बाध्यताओं का उचित रूप से आकलन किया जा सकता है; और

(ख) इसके बाद समय-समय पर प्रत्येक पार्टी को निम्नलिखित का उचित ब्यौरा उपलब्ध कराएगी, अर्थात् -

(i) खण्ड (क) के अंतर्गत अधिसूचित मामलों में हुई प्रगति;

(ii) अनिवार्य बाध्यता से निपटने या इसके प्रभाव और इसकी संगत बाध्यताओं के कार्य-निष्पादन को पुनः शुरू करने के लिए प्रभावित पार्टी द्वारा उठाए गए कदम।

- (2) देयता होने पर कंपनियों को भुगतान की बाध्यता को छोड़कर अनिवार्य बाध्यता की स्थिति में उनकी संबंधित बाध्यताओं से छूट दी जाएगी।

16. प्रचालनात्मक योजना

- (1) शिपर ट्रांसपोर्टर को ऐसी मात्राओं, जिन्हें वह विनियमों के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार दैनिक आधार पर पाइपलाइन प्रणाली से किसी विशिष्ट प्रवेश स्थल तथा किसी विशिष्ट निकासी स्थल व सुपुर्दगी करना चाहता है, का दैनिक, साप्ताहिक या मासिक नामांकन करेगा।

- (2) (क) ट्रांसपोर्टर पाइपलाइन प्रणाली में प्राप्त नामांकन और उपलब्ध क्षमता के आधार पर गैस की मात्राओं की सूची बनाएगा।

(ख) ट्रांसपोर्टर बुक की गई क्षमता के अलावा मात्राओं के नामांकन की सूची बना सकता है बशर्ते कि यह घोषित पाइपलाइन क्षमता का अधिकतम दस प्रतिशत हो।

- (3) (क) ट्रांसपोर्टर उप-विनियम (2) के खण्ड (ख) के अंतर्गत निर्धारित और अनुसूची प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न शिपर्स को गैस की मात्रा आबंटित करेगा।

- (ख) शिपर को गंतव्य स्थल-वार (निकासी स्थल-वार) तैयार की गई अनुसूची के अनुसार आबंटन की सुपुर्दगी की जाएगी।

## 17. आपातकाल

आपातकाल की स्थिति में शिपर और ट्रांसपोर्टर द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को शिपर और ट्रांसपोर्टर द्वारा परस्पर सहमत शर्तों पर गैस प्राप्ति प्रबंधन में शामिल किया जाएगा।

## 18. सूचना की गोपनीयता

किसी कंपनी द्वारा इन विनियमों की आवश्यकता के संबंध में या इनके परिणामस्वरूप ट्रांसपोर्टर, शिपर या अन्य किसी पार्टी को लिखित में या अन्यथा प्रस्तुत या सुपुर्द किए गए सभी दस्तावेज, सूचना, आंकड़े, प्रस्तुतियां और टिप्पणियों को गोपनीय माना और समझा जाएगा तथा दस्तावेजों, सूचना, आंकड़ों, प्रस्तुतियों और टिप्पणियों को पूर्णतः या उसका कोई भाग या सभी का खुलासा नहीं किया जाएगा, जिसमें किसी न्यायालय की कार्यवाहियों को छोड़कर उसके घटकों और प्रतियों के सभी स्वरूप शामिल होंगे।

## 19. विविध

यदि इन विनियमों के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

## अनुसूची-1

पाइपलाइन की क्षमता घोषित करने का प्रपत्र  
[देखें विनियम 4 (2)]

1. कंपनी का नाम :
2. पाइपलाइन का नाम :
3. पाइपलाइन की खण्डवार क्षमता (प्रत्येक खण्ड के लिए अलग से दी जाए):  
(क) खण्डों की संख्या :  
(ख) प्रारंभिक और अंतिम स्थल सहित खण्ड का नाम:  
(ग) क्षमता - (i) मात्रा अनुसार (ii) ऊर्जा अनुसार
4. एएचए की संख्या:
5. पाइपलाइन मार्ग पर प्रवेश स्थलों की संख्या :
6. प्रवेश स्थलों का स्थान:
7. निकासी स्थलों की संख्या:
8. निकासी स्थलों का स्थान:
9. प्रवेश स्थल-वार क्षमता (प्रत्येक प्रवेश स्थल के लिए अलग से दी जाए):
10. निकासी स्थल-वार क्षमता (प्रत्येक निकासी स्थल के लिए अलग से दी जाए):
11. तकनीकी मानदण्ड:

- (क) प्रवेश स्थल पर प्रवेशिका दबाव:  
 (ख) प्रवेश स्थल पर कैलोरीयुक्त मूल्य बैंड:  
 (ग) तापमान:  
 (घ) अनुसूची-11 के अनुसार अन्य तत्व:
12. सामान्य वाहक आधार पर पाइपलाइन प्रणाली में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता की स्थिति:  
 13. ट्रांसपोर्टर द्वारा स्वयं या निविदा वाहक आधार पर इस्तेमाल की जा रही सामान्य वाहक क्षमता का ब्यौरा:  
 14. ऐसी लंबित अवधि सहित पाइपलाइन के सामान्य वाहक प्रयोग हेतु ट्रांसपोर्टर के पास लंबित कोई मांग:  
 15. प्रवेश और निकासी स्थलों पर प्राथमिकता:

## अनुसूची-11

[देखें विनियम 5(5), 8(1) (ख)(i)]

गैस गुणवत्ता विशिष्टियां

मापदण्ड	सीमा
हाइड्रोकार्बन ओसांक (डिग्री सेल्सियस, अधिकतम)	0
जल ओसांक (डिग्री सेल्सियस, अधिकतम)*	0
हाइड्रोजन सल्फाइड (अधिकतम वजन पीपीएम में)	5
कुल सल्फर (अधिकतम वजन पीपीएम में)	10
कार्बन डाइऑक्साइड (अणु % अधिकतम)	6
कुल निष्क्रियता (अणु %)	8
तापमान (डिग्री सेल्सियस, अधिकतम)	55
ऑक्सीजन (% अणु मात्रा अधिकतम)	0.2

\* पाइपलाइन प्रचालन दबाव पर

[फा.सं. एस.-प्रशा./II/8/2007 खण्ड-1]

अजय त्यागी, सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th July, 2008

**G.S.R. 541(E).—**

In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

**1. Short title and commencement.**

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**

- (1) In these regulations, unless the context otherwise require,
- (a) “access arrangement” means a document of the transporter specifically defining terms and conditions for the access to the gas pipeline and placed on the web site of the transporter;
  - (b) “Act” means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006”;
  - (c) “a homogeneous area” (AHA) means a part of the pipeline within which the gas of similar specifications including calorific value is received or delivered over a specified time period;
  - (d) “allocated capacity” means the scheduled maximum daily quantity agreed between the shipper and the transporter;
  - (e) “appointed day” means the date of October 1, 2007 when the Central Government notified the establishment of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board;
  - (f) “Board” means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) established under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act 2006;
  - (g) “booked capacity” means maximum daily quantity (MDQ) of gas on any day to be delivered at an entry point or off taken at an exit point as per the contract between the shipper and the transporter;
  - (h) “contracted capacity” means the natural gas volume contracted for transportation through a pipeline system on daily, monthly or yearly basis;
  - (i) “custody transfer meter” means a device or a set of devices which measures the quantity of natural gas (in terms of volume and energy) for transfer of custody from one entity to another;
  - (j) “dispute” means any dispute or difference arising between the entities under or in connection with these regulations or the access arrangement;



- (k) “entry point” means the point at which the gas delivered by shipper is injected into the natural gas pipeline;
- (l) “exit point” means the point at which the gas is withdrawn from the natural gas pipeline for delivery to the shipper or end consumer as agreed between transporter and shipper;
- (m) “maximum daily quantity” means the maximum volume of natural gas contracted, booked or scheduled for delivery in a particular day within twenty four hours of the day;
- (n) “natural gas pipeline” means any pipeline including spur lines for transport of natural gas and includes all connected equipments and facilities, such as, compressors, storage facilities, metering units, etc. but excludes-
- (i) dedicated pipeline laid to transport natural gas to a specific customer to meet his requirement and not for resale;
- (ii) pipelines in a city or local natural gas distribution network which are regulated by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.
- (o) “natural gas pipeline section” means a part of natural gas pipeline between an entry point and an exit point or between two exit points;
- (p) “marketeer” means an entity dealing with the marketing or trading of natural gas;
- (q) “off-spec natural gas” means the natural gas which does not conform to the parameters specified at sub-regulations (1), (4), (5) and (6) of regulations 5;
- (r) “operating pressure” means the pressure corresponding to a particular flow rate at which the natural gas pipeline is operated;
- (s) “shipper” means an entity and also includes a consumer who intends to utilize the capacity in the pipeline for transmission of gas;
- (t) “system use gas” (SUG) means the quantity of gas used by the transporter for the operation and maintenance of the pipeline system, including but not limited to,

compressors, gas heaters, close cycle vapour or thermo electric gas turbines for cathodic protection and supervisory control and data acquisition (SCADA) system;

- (u) “transmission loss” (TL) means the quantity of gas which is unaccounted for whatsoever reason including blow downs, venting or releases during regular operation and maintenance of the pipeline system or due to inaccuracy of custody meter;
- (v) “transporter” means an entity authorized by the Board or authorized by the Central Government prior to the appointed date for laying, building, operating or expanding a natural gas pipeline;
- (w) “transmission service” means the service consisting of taking delivery of the gas made available by a shipper at one or more entry points along the pipeline system and delivering an equivalent quantity of gas in terms of energy at one or more exit points in accordance with the terms and conditions laid down in the access arrangement and contract signed between the shipper and the transporter and complying with the provisions of these regulations;
- (x) “unit of measurement” means unit for measurement of quantity of gas and shall be in million British thermal units (MMBTU) or Kilo calories.

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

### **3. Application.**

- (1) These regulations shall apply to an entity operating or proposing to operate natural gas pipeline.
- (2) Any entity authorized by the Board to lay, build, operate or expand a natural gas pipeline under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipeline) Regulations, 2008 or authorized to do so by the Central Government before the appointed day, can add new or abandon any existing entry and exit point on the pipeline on techno-economic considerations provided that the existing customers on the pipeline are not adversely affected by the decision of the entity.

**4. Declaration of capacity.**

- (1) The capacity of a natural gas pipeline shall be as authorized by the Board for new pipelines under The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008 or as determined by the Board under relevant regulations for declaring natural gas pipelines as common carrier or contract carrier or under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008 or as determined by the Board under the relevant Regulations.
- (2) The transporter shall declare for each natural gas pipeline section, entry and exit point-wise design and available capacity of the pipeline and host the same on its web site on the 1st of every month in the prescribed manner and format specified at Schedule I and shall send this information to the Board and the same shall also be hosted by the Board on its website.
- (3) The available capacity declared for the transporter under sub-regulation (2) shall be available for use on common carrier or contract carrier basis or both and shall be allocated in line with the provisions under regulation 12.

**5. Gas parameters.**

- (1) The authorized entity as referred to in sub-regulation (2) of regulation 3 shall formulate the calorific value(CV) band for the natural gas to be transported through natural gas pipeline keeping in view the following parameters, namely:-
  - (a) CV of its own natural gas proposed to be transported;
  - (b) CV of firmed up contracted capacity of natural gas;
  - (c) requirements of downstream consumers of natural gas on the pipeline;
  - (d) technical requirement of the pipe line system; and
  - (e) CV band of the inter-state pipelines either supplying natural gas into the pipeline system or receiving natural gas from this pipeline system.
- (2) The transporter shall publish CV band referred to in sub-regulation (1) on its website within a period of one month of authorization by the Board, as referred to in sub-regulation (2) of regulation 3, under intimation to the Board.  
Provided that the entities authorized before the publication of these regulations shall publish the CV band within a period of one month of the date of publication of these regulations.

- (3) CV band referred to in sub-regulation (1) shall be applicable to all shippers on non-discriminatory basis.
- (4) The transporter may review the CV band for natural gas from time to time taking into account new major source of gas supplies or new consumers: Provided that CV band so updated shall not adversely affect any of the existing shippers:
- Provided further that transporter shall immediately inform the Board as and when such up-dation is carried out by the transporter besides putting the same on its web site.
- (5) The threshold limits for other elements in natural gas like CO<sub>2</sub>, CO, H<sub>2</sub>S, N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, water dew point, hydrocarbon dew point, etc. shall be as given in Schedule II.
- (6) The transporter shall define the gas parameters at entry points in terms of gas hydraulics specifying the acceptable range of pressure and temperature and the same shall be hosted on the website of the transporter.
- (7) Shipper shall supply gas conforming to all parameters specified in sub-regulations (1), (4) to (6) and the transporter shall deliver gas at exit point conforming to parameters of gas as specified in sub-regulations (1),(4) and (5):

Provided that the pressure and temperature shall be as per the contract between shipper and the transporter.

**6. System Use Gas (SUG), Line Pack (LP) and Transmission Losses (TL).**

A shipper shall sell or provide the gas, if required by the transporter, for SUG, LP and TL at the prevailing market price in proportion to its capacity booking in the pipeline:

Provided that, the transporter shall be free to arrange this gas from any other source.

**7. Measurement of gas.**

- (1) The transporter shall ensure the provision of the entry and exit point equipments to measure gas composition, calorific value, pressure and temperature on continuous basis as specified in regulation 9.

- (2) The transporter shall divide the natural gas pipeline into a number of “a homogenous area” (AHA) and shall continuously measure the quality parameters by Gas Chromatograph (GC) in each AHA.
- (3) Measurement of CV and gas quality as provided in sub-regulations (1) and sub-regulation (2) shall be sufficient for billing and other contractual purposes for all exit points served by the AHA.
- (4) Total error limit and accuracy of the measuring equipment shall be as agreed to between the entities subject to any mandatory specifications, if any, laid down by the Board through regulations.
- (5) The transporter shall carry out verification, calibration or proving of measuring equipment as per the relevant codes and standards.
- (6) Either shipper or transporter may instal check meters at requisite points with a pre-condition so as not to interfere with the measurement equipment installed by the entity for custody transfer purpose.
- (7) Gas accounting shall be done on daily basis and the gas reconciliation, billing & other terms shall be as decided between the entities.

**Obligations at entry point and exit point.**

- (1) At the entry point when the shipper delivers natural gas that does not meet the quality requirements as specified in sub-regulation (1), (4) to (6) of regulation 5, in respect of CV band and threshold level of other elements of gas, the transporter may-

(a) refuse to accept it; or

(b) accept any gas that does not meet the requirements of gas in terms of gas parameters-

- (i) as specified at Schedule II:

Provided that transporter may charge reasonable cost of service from the shipper, as may be mutually agreed, for any additional facilities or treatment for cleaning up or integrity requirements of the pipeline and to upgrade gas to pipeline specifications;

Provided further that such off-spec natural gas does not adversely affect the existing customers' quality specifications committed by the transporter at the exit points;

- (ii) as specified in sub regulations (1) and (4) of regulation 5: Provided that the transporter may charge the reasonable cost of service for the capacity adjustment from the shipper for transportation of such gas and for capacity constraints in the system:

Provided further that such off-spec natural gas does not adversely affect the existing customers' quality specifications committed by the transporter at the exit points.

- (2) At the exit point when the transporter delivers gas that does not meet the quality requirements as specified in sub regulation (7) of regulation 5, the shipper may -
- (a) refuse to accept delivery and in such a case the transporter shall be liable to pay liquidated damages to the shipper as per their terms of contract; or
  - (b) accept the gas and in such case no charges shall be payable by transporter.

**9. Facilities at entry point and exit point.**

- (1) Shipper shall arrange to deliver gas at entry point on the pipeline system and shall provide all facilities, including measuring equipments, required for transfer of custody and delivery of gas to the transporter unless otherwise agreed to between shipper and transporter.
- (2) Transporter shall execute hooking up facility of shipper to the entry point at the cost of shipper.
- (3) Shipper or his authorized nominee shall own, operate and maintain facilities upstream of entry points at his own cost and risk unless the facilities are provided by the transporter under a separate contract.

- (4) The transporter shall own and operate facilities including measuring equipments at exit point for transfer of custody and delivery of gas to the shipper unless otherwise agreed to between shipper and transporter and the exit point gas parameters shall be mutually agreed to between shipper and transporter.
- (5) The transporter shall execute, at the cost of shipper, the facility of hooking up of shipper facility with that of transporter at exit point.
- (6) The shipper shall provide space and cooperate with the transporter in installing, operating, maintaining and modifying any specific exit point facilities when such exit point facilities are provided in the premises of the shipper.
- (7) The shipper may provide check meter, conforming to the applicable standard and specifications, at the delivery point in natural gas pipeline:

Provided that in case of any variation in the readings in the meter of transporter and shipper, the reading of the transporter meter shall be taken as final.

- (8) In case of any dispute in metering, the meter proving or certification shall be carried out by an accredited third party as approved by the Board.
- (9) In case of any fault in the meter of transporter, the expenses on this account shall be borne by the transporter and in case no fault is found in the meter, the expenses shall be borne by the shipper.

#### 10. Pipeline capacity booking.

- (1) More than one shipper can hold capacity at any entry or exit point.
- (2) The booked capacity shall be through a contract between shipper and transporter under "Access Arrangements" in the form of MDQ.
- (3) When a transporter receives a request for access from a shipper it shall respond within three days after receiving the request from the shipper-
  - (a) confirming that spare capacity exists to satisfy the request and specifying the charges and terms and conditions upon which it will make the service available;

- (b) advising that spare capacity does not exist to satisfy the request;
  - (c) advising that the data provided by the shipper require technical study to accommodate his request and such study shall be completed within seven days from the date of receipt of request; or
  - (d) advising that it is not technically or operationally feasible to provide access.
- (4) shipper may release the capacity in favour of other shippers to the extent of the capacity booked.
  - (5) The shipper may assign in part or full the capacity booked by him or trade in open market and the transporter shall deliver the capacity in physical terms to any person or entity which wishes to take physical delivery on the basis of a valid contract.
  - (6) The nomination of natural gas for transportation shall contain the expected gas flow details of one or more days daily-nominated quantities as per the agreed schedule between the shipper and the transporter.
  - (7) The accounting of the gas shall be in energy terms and shall be based on Gross calorific value as defined in ISO 6976-1:1983(E).

**11. Interconnection of two common carrier or contract carrier natural gas pipeline.**

- (1) The interconnection of two common carrier or contract carrier pipeline systems may be necessitated by either a transporter or a shipper and such interconnection shall be allowed subject to capacity available in the receiving common carrier pipeline and when it is operationally and technically feasible.
- (2) The gas quality specifications for interconnecting pipelines should be compatible.
- (3) The cost of such interconnection point shall be borne by the entity that has triggered such requirement for interconnection and the cost of interconnection may include the cost of compression equipments for meeting the operational requirements for receiving natural gas in the common carrier system.



- (4) The execution of the interconnection facilities shall be carried out by the transporter who owns the system which receives the gas.
- (5) The interconnection point shall be mutually agreed between transporter and the shipper.
- (6) Interconnection of pipeline network is like adding an exit point to the existing pipeline and all such provisions shall be applicable for such interconnection.
- (7) The authorized entity for receiving common carrier pipeline shall inform the Board in case any interconnection request is denied.

## 12. Methodology for providing access.

- (1) The contracted capacity between a shipper and a transporter shall be for a gas quantity not exceeding the own firm up capacity and aggregated volume contracted by the transporter for a period of more than a year.
- (2) The excess 33% capacity shall be allocated on common carrier principle on first come first serve basis:

Provided that in case any capacity out of the 33% excess capacity under sub-regulation (2) is available at any time due to non-existence of demand from any shipper, then, the same may be utilized either by the authorized entity itself or could be contracted for a period of more than a year subject to the stipulation that in the event of any requirement by another shipper for transportation of gas on a common carrier basis, the entity shall make available the required capacity to the shipper within a period of thirty days of such requirement.

## 13. System indiscipline and charges.

- (1) If the pipeline capacity has been utilized by the shipper without permission of the transporter over 110% of the capacity allocated, then, the shipper shall be charged for such unauthorized overrun by the transporter in a transparent manner on non-discriminatory basis.
- (2) If the shipper off-takes less quantity of gas from the pipeline system than injected

into it, then, the shipper is creating positive imbalance and it shall be allowed a cumulative positive imbalance of ten per cent of allocated capacity as tolerance limit.

- (3) Positive imbalance up to ten per cent of the booked capacity shall not attract any positive imbalance charges and the shipper shall be charged by the transporter for positive imbalance charges in a transparent manner on non discriminatory basis if it exceeds ten per cent.
- (4) If shipper off-takes more quantity of gas from the pipeline system than injected into it, then, the shipper is creating negative imbalance and the shipper shall be allowed a cumulative negative imbalance of five per cent of allocated capacity as a tolerance limit.
- (5) Negative imbalance of five per cent. of the allocated capacity shall not attract any negative imbalance charges and the shipper shall be charged by the transporter for negative imbalance charges in a transparent manner on non discriminatory basis if it exceeds five percent.
- (6) Charges for the system indiscipline, that is, for unauthorized overrun positive imbalance and negative imbalance shall be on daily basis in terms of maximum daily quantity.
- (7) Subject to sub-regulation (8), the transporter shall maintain the pipeline system in such a way that the allowed positive imbalance of 10% or negative imbalance of 5% does not interfere with the operations of the pipeline and shall ensure that the shippers get their allocated quantities within acceptable contractual variations, at specified gas parameters at exit points.
- (8) It shall be the responsibility of the defaulting shipper to cure imbalances beyond the permissible limit caused by it in transporter's pipeline and in case, the defaulting shipper is unable to cure such imbalances within a period of fifteen days, then, the transporter shall have the right to adjust daily-nominated quantity of such shipper to mitigate such imbalances to ensure safety and integrity of pipeline system.

- (9) In case the transporter and the shipper have entered into an agreement which recognizes an aggregated volume of natural gas on periodic basis and the shipper makes commitment to avail the capacity intermittently within a period less than one year, the imbalances and overrun charges shall be calculated on maximum daily quantity basis as scheduled by the shipper and the transporter.
- (10) There shall be established an escrow account to be maintained by the transporter which shall be credited with all charges received by the transporter on account of imbalances and overruns under this regulation and the transporter shall be eligible to withdraw from the escrow account the payment towards his contractual obligations with reference to supply or pay and extra efforts to compress gas in case of negative imbalance and system management of the pipeline system due to such imbalances created by the shippers.
- (11) The transporter shall submit audited statement of the escrow account referred to in sub-regulation (10) on an annual basis to the Board.
- (12) The balance amount available in the escrow account, after the eligible withdrawal by the transporter, under sub clause (10) may be utilized in such a manner and for such purposes as may be specified by the Board.

#### **14. Planned maintenance.**

- (1) The transporter is required to draw up and publish a maintenance plan well ahead of time for a defined period identifying those entry and exit points where gas flows may be restricted by maintenance works, the extent of the restrictions and the time of occurrence and the transporter shall plan such maintenance so as to minimize disruption to affected parties and can request information from shippers on their survival flows at entry and exit points to assist the transporter for such maintenance schedule.
- (2) Dates for scheduled maintenance shall be informed well in advance which can be adjusted on thirty days advance notice to and from affected shippers.
- (3) The planned maintenance period shall not exceed ten days in a year.

**15. Information about *force majeure*.**

- (1) The affected party shall on occurrence of any *force majeure*-
  - (a) as soon as reasonably practicable notify each of the other parties of the occurrence and nature of the *force majeure*, the expected duration thereof insofar as the same can reasonably be assessed and the obligations of the affected party performance of which is affected thereby; and
  - (b) from time to time thereafter provide to each other party reasonable details of the following, namely-
    - (i) developments in the matters notified under clause (a);
    - (ii) the steps being taken by the affected party to overcome the *force majeure* occurrence or its effects and to resume performance of its relevant obligations.
- (2) The entities shall be relieved of their respective obligations in the event of *force majeure* except for the obligation to pay when due.

**16. Operational planning.**

- (1) Shipper shall make daily, weekly or monthly nominations to the transporter for the quantities that it wishes to deliver to at a particular entry point and off-take at a particular exit point from the pipeline system on a daily basis in line with the provisions under these regulations.
- (2) (a) Transporter shall schedule the quantities of gas for transportation based on the nominations received and capacity available in the pipeline system.  
  
(b) Transporter may schedule the nomination for quantities over and above the booked capacity subject to a maximum of ten per cent of the declared pipeline capacity.
- (3) (a) Transporter shall allocate quantity of gas to various shippers as determined under clause (b) of sub-regulation (2) and as per the scheduling exercise.  
  
(b) Allocation scheduled shall be delivered to the shippers as per the destinationwise (exit point wise) schedule prepared.

**17. Emergencies.**

The procedures to be followed by shipper and the transporter in the event of an emergency shall be included in the access arrangements by shipper and transporter on mutually agreed terms.

**18. Confidentiality of information.**

All documentation, information, data, submissions and comments disclosed or delivered whether in writing or otherwise by any entity to the transporter, shipper or to any other party either in connection with or in consequence of the requirements of these regulations shall be regarded and treated as confidential and shall not be disclosed either in full or part of any or all of the documentation, information, data, submissions and comments including the contents and copies thereof in any form except in connection with any proceedings in any court.

**19. Miscellaneous.**

If any dispute arises with regards to the interpretation of any of the provisions of these regulations, the decision of the Board shall be final.

.....

**Schedule – I****Format for declaring capacity of Pipeline**

(see regulation 4(2) )

1. Name of entity:
2. Name of pipeline:
3. Sectionwise capacity on the pipeline(to be furnished for each section separately) :
  - (a) Number of sections:
  - (b) Name of section with start and end point:
  - (c) Capacity – (i) Volume terms (ii) Energy terms
4. Number of AHAs:
5. Number of entry points on the pipeline route:
6. Location of entry points:
7. Number of exit points:
8. Location of exit points:

9. Entry point wise capacity(to be furnished separately for each entry point):
10. Exit pointwise capacity(to be furnished separately for each exit point):
11. Technical parameters:
  - (a) Inlet pressure at entry point:
  - (b) Calorific value band at entry point:
  - (c) Temperature:
  - (d) Other elements as per Schedule - II:
12. Status of extra capacity available in the pipeline system on common carrier basis:
13. Details of common carrier capacity being used by transporter itself or on contract carrier basis:
14. Any demand pending with the transporter for common carrier usage of the pipeline alongwith duration of such pendency:
15. Preference on entry and exit points:

### Schedule – II

(see regulations 5(5), 8(1)(b)(i))

## Gas quality specifications

Parameters	Limit
Hydrocarbons dew pt (Degree Celsius, max.)*	0
Water dew pt(Degree Celsius, max )*	0
Hydrogen Sulphide (ppm by wt. max.)	5
Total Sulphur (ppm by wt. max.)	10
Carbon dioxide (mole % max.)	6
Total inerts (mole % )	8
Temperature ( Degree Celsius, max.)	55
Oxygen( % mole vol. max.)	0.2

\* At the pipeline operating pressure

[F. No. S-Admn./II/8/2007-Vol. 1]

AJAY TYAGI, Secy.